

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दारु कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 282/सी-10000279/वित्त/नियम/चार
प्रति,

रायपुर, दिनांक 03 सितम्बर, 2011


शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-चिकित्सा शिक्षकों एवं चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध की स्थिति में अव्यवसायिक भत्ते की पात्रता।

संदर्भ:-वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक क्रमांक 177/सी-30457/वित्त/नियम/चार/2011, रायपुर, दिनांक 02.06.2011

संदर्भित ज्ञापन द्वारा राज्य के चिकित्सा शिक्षकों एवं चिकित्सकों के निजी प्रेक्टिस एवं निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध की स्थिति में अव्यवसायिक भत्ते की पात्रता के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त ज्ञापन की कंडिका-1 के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस करने की छूट रहेगी किन्तु कंडिका-4 के अंतर्गत प्रशासकीय पदों पर पदस्थ चिकित्सा अधिकारियों को निजी प्रेक्टिस करने की छूट नहीं रहेगी तथा वे अव्यवसायिक भत्ता के पात्र होंगे ।

2. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि संदर्भित ज्ञापन में वर्णित शर्तों के अधीन उक्त निर्देश 'कर्मचारी राज्य बीमा सेवार्यें' के अंतर्गत कार्यरत चिकित्सकों के लिए भी लागू किया जाये।



(एस.के. चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग /मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
14. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

Ravinder

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग